

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

क्रमांक: प.15(16)(2)रसद/2015/

1563

दिनांक :- 05.10.2017

उप आवंटन आदेश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान-जयपुर के आवंटन आदेश संख्या एफ30(1)खा.वि./केरोसीन/आवंटन/2017 दिनांक 27.09.2017 के क्रम में जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन की वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से बनाए रखने हेतु माह अक्टूबर 2017 के लिए केरोसीन का नगरपरिषद्/पंचायत समिति/थोक विक्रेतावार निम्न प्रकार अस्थाई (Tentative) उप आवंटन जारी किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम नगरपरिषद्/पंचायत समिति	कुल आवंटित मात्रा KL. में	आवंटन का विवरण	नाम थोक विक्रेता	रोस्टर का विवरण
1.	नगरपरिषद् बाड़मेर	9	9	हस्तीमल मोहनलाल, बाड़मेर	सम्पूर्ण
2.	नगरपरिषद् बालोतरा	7	7	मुरलीधर ईश्वरदास, बालोतरा	सम्पूर्ण
3.	पं. स. बाड़मेर	50	50	हस्तीमल मोहनलाल, बाड़मेर	सम्पूर्ण
4.	पं. स. रामसर	28	16 12	बालाजी एजेन्सी, शिव हस्तीमल मोहनलाल, बाड़मेर	क्र.सं. 01 से 23 तक क्र.सं. 24 से 45 तक
5.	पं. स. शिव	27	27	बालाजी एजेन्सी, शिव	सम्पूर्ण
6.	पं. स. गड़रारोड़	32	32	बालाजी एजेन्सी, शिव	सम्पूर्ण
7.	पं. स. चौहटन	40	28 12	नेशनल ऑटोमोबाइल, बाड़मेर हस्तीमल बागरेचा, सिवाना	क्र.सं. 01 से 50 तक क्र.सं. 51 से 64 तक
8.	पं. स. सेड़वा	57	57	मुरलीधर ईश्वरदास, बालोतरा	सम्पूर्ण
9.	पं. स. धनाऊ	52	52	नेशनल ऑटोमोबाइल, बाड़मेर	सम्पूर्ण
10.	पं. स. धोरीमना	37	37	मदन एण्ड कम्पनी, बालोतरा	सम्पूर्ण
11.	पं. स. गुड़ामालानी	38	38	हस्तीमल बागरेचा, सिवाना	सम्पूर्ण
12.	पं. स. सिणधरी	47	47	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
13.	पं. स. बायतू	26	26	मदन एण्ड कम्पनी, बालोतरा	सम्पूर्ण
14.	पं. स. गिड़ा	28	28	मदन एण्ड कम्पनी, बालोतरा	सम्पूर्ण
15.	पं. स. बालोतरा	31	31	हस्तीमल बागरेचा, सिवाना	सम्पूर्ण
16.	पं. स. पाटोदी	19	19	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
17.	पं. स. कल्याणपुर	15	15	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
18.	पं. स. सिवाना	32	32	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
19.	पं. स. समदड़ी	11	11	मुरलीधर ईश्वरदास, बालोतरा	सम्पूर्ण
	योग :-	586	586KL		

शर्त :-

1. प्राधिकृत केरोसीन थोक विक्रेता आवंटित मात्रा का तेल कम्पनियों से सम्पूर्ण उठाव कर प्रत्येक माह की 24 तारीख से पूर्व उचित मूल्य दुकानदारों को केरोसीन तेल की आपूर्ति करेंगे।
2. उक्त सभी थोक विक्रेता उनके सम्मुख अंकित जिले की पंचायत समिति/नगरपरिषद् क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदारों को डोर स्टेप डिलीवरी सिद्धान्त से केरोसीन तेल की आवंटनानुसार आपूर्ति करेंगे।
3. वार्डवार/ग्राम पंचायतवार स्थित प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदारों में उनके पास उपलब्ध/विभाजित राशनकार्डों के आधार पर केरोसीन का पंचायत समितिवार रोस्टर संलग्न है। थोक विक्रेताओं द्वारा संलग्न आवंटन के अनुसार वैध दुकानदारों को केरोसीन तेल की आपूर्ति की जावेगी। यदि स्थानीय स्तर पर मांग अधिक है या राशनकार्डों की संख्या में विसंगति है या केरोसीन तेल खाली नहीं होने पर केरोसीन तेल बच जाता है या अन्य कोई परिवर्तन/संशोधन करना हो तो इसके लिए इस कार्यालय द्वारा अलग से आदेश जारी किया जावेगा। शेष अवितरित मात्रा थोक विक्रेता अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
4. प्राधिकृत थोक विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार/केरोसीन प्राधिकार पत्रधारी के गोदाम पर केरोसीन खाली करने के बाद उसके स्टॉक रजिस्टर में मोहर लगा कर अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे एवं डीलर के भी हस्ताक्षर स्टॉक रजिस्टर में करायेगे।
5. थोक विक्रेता केरोसीन के विक्रय बिल पर प्राधिकार पत्रधारक उचित मूल्य दुकानदार के स्वयं के हस्ताक्षर एवं बाये हाथ के अंगुठा निशानी लेगा, अन्य किसी के नहीं व आपूर्ति की दैनिक सूचना इस कार्यालय/संबंधित उपखण्ड कार्यालयों में प्रेषित की जावेगी।
6. प्राधिकृत थोक विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानवार रोस्टर में अंकित क्रमानुसार बढ़ते हुए टैंकर संख्यावार केरोसीन की आपूर्ति की जावेगी।

